न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्म

प्रथम अपील संख्या 43/2023

श्री भूपेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री शेर सिंह यादव, निवासी 34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा, जयपुर, तहसील व

(राजस्थान)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिक के तहत दिनांक 16.02.2023 को पोर्टल पर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील 43/2023 पर दिनांक 16.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूच (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/20 दिनांक 16.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पीए/सू0अ0/2022/1501 दिनां के द्वारा अवगत कराया है कि उनवानी अपील श्री शैलेष खैरवा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के खि थी परन्तु अपील मे चाही गई सूचना तहसील क्षेत्र उदयपुरवाटी से संबंधित होने के कारण उक्त तहसीलदार उदयपुरवाटी को स्थानान्तरित कर दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक पीए/सू0अ0/2022/ 27.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि उनवानी अपील श्री शैलेष खैरवा उपखण्ड अधिका खिलाफ दर्ज हुई थी परन्तु अपील मे चाही गई सूचना तहसील क्षेत्र उदयपुरवाटी से संबंधित ह उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार उदयपुरवाटी को स्थानान्तरित कर दिया है। चूंकि प्रार्थी को सूचना कराई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, उदयपुरवा दिये जाते है कि प्रार्थी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कर करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 2... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कु

जिला कलक्टर,

जिला कलेक्टर